(29)

कंडिका क्रमांक – 11

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में शासन के अनुदेश की छायाप्रति संलग्न है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM(ENV)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समागातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का०आ० सं० 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, सात दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त अभिलिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के

---

[1] भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और अनन्य आर्थिक जोन सम्मिलित है ।

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

2. **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षाएं (ई.सी.) :-**

निम्नलिखित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व उक्त अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से, जिसे अनुसूची में 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया है, और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कहा गया है, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जब परियोजना या क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है ।

(i) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप ;

(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, संबंधित क्षेत्र के लिए अर्थात् परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए जो विस्तार या आधुनिकीकरण के पश्चात् अनुसूची में दी गई अधिकतम सीमाओं को पार कर लेते हैं, क्षमता में परिवर्धन सहित विस्तार या आधुनिकीकरण ;

(iii) विनिर्दिष्ट रेंज से परे अनुसूची में सम्मिलित किसी विद्यमान विनिर्माणकर्ता यूनिट में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन ।

3. **राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :-**(1) कोई राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईआईएए कहा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव, राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा ।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।

(4) ऊपर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपपैरा (3) से उपपैरा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी ।

(6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे ;

4. परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :--

(i) सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित है ।

(ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी ;

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन भी है, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में निश्चित की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस इस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एसाईएसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसाईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी ;

5. **स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :–** केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी कहा गया है) क्रमशः प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन करेंगी । ईएसी और एसईएसी की प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी । राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा ।

(ख) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।

(घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्क्रीन करने या विस्तार करने या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देंगे ।

(ङ) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेंगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा ।

6. **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :–** सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन, परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सन्निर्माण क्रियाकलाप या भूमि की तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 दिया गया है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सिवाय, संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेदन के साथ पेश करेगा ।

7. (i) **नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :–** नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया में अधिकतम चार प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे यथाउपवर्णित विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे । ये चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :–

- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख1" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख2" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

II. प्रक्रम (2) विस्तारण :

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौंपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं । विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं । अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) सौंपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व संनिर्माण क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

(i) "लोक परामर्श" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाधातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।

(घ) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाप ।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तिगत विचार अंतर्वलित हैं ।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई ;

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अवधि के भीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैंतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।

(v) यदि ऊपर उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को व्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा ।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट 3क में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी ।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करेगा और प्रारूप ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा ।

IV प्रक्रम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है । यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) किसी आवेदन का आंकलन, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है ।

7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया,-

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा ।

8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूर्व आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपबंधित के सिवाय प्रेषित करेगा ।

(ii) विनियामक प्राधिकरण, सामान्यतः विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा । उन दशाओं में जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों से असहमत है, वहां विनियामक प्राधिकरण विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारशों की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों के भीतर असहमति के कारणों का कथन करते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा । इस विनिश्चय की सूचना आवेदक को साथ-साथ प्रेषित की जाएगी । उसके पश्चात् विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, विनियामक प्राधिकरण के संप्रेक्षणों पर विचार करेगी और उस पर अपने विचार साठ दिनों की और अवधि के भीतर पेश करेगी । विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अगले तीस दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाएगा ।

(iii) उस दशा में जहां विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय आवेदक को, ऊपर उपपैरा (i) या (ii) में, जहां लागू हो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसूचित नहीं किया जाता है, वहां आवेदक इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो मांगी गई पर्यावरण अनापत्ति मंजूर कर दी गई है या विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशों के निबंधनों में विनियामक प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दी गई है ।

(iv) ऊपर पैरा (i) और (ii) के अधीन, जहां लागू हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशें लोक दस्तावेज होंगे ।

(v) अन्य विनियामक प्राधिकरणों से परियोजनाओं या क्रियाकलापों, या संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या विनिश्चय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदनों की प्राप्ति के पूर्व तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक या तो ऐसी अनापत्ति किसी विधि की अपेक्षा का आवश्यक तकनीकी कारणों से कोई श्रृंखलाबद्ध आधार न हो ।

(vi) जान बूझ कर छिपाना और/या मिथ्या प्रस्तुतीकरण या भ्रामक सूचना या आंकड़े देना जो स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या आवेदन पर विनिश्चय के लिए सारवान हो, आवेदन को नामंजूर किए जाने या उस आधार पर मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण के लिए दायी बनाएगी । किसी आवेदन को नामंजूर करना या इस आधार पर पहले मंजूर की गई किसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण का विनिश्चय विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् किया जाएगा और उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

9. **पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता,-**

"पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता" से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि ऊपर पैरा 7 के उपपैरा (iv) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजनाओं की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए

आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है । किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनुसूची की मद 1(ग)) की दशा में दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष होगी । तथापि क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरीय की दशा में (मद 8(ख)) विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है । इस विधिमान्यता की अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि कोई आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर किया जाता है । इस बाबत विनियामक प्राधिकरण, यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति से भी परामर्श कर सकेगा ।

10. पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करना,-

(i) परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्धवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(ii) परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सभी ऐसी अनुपालन रिपोर्टें लोक दस्तावेज होंगी, उसकी प्रतियां संबंधित विनियामक प्राधिकरण को आवेदन पर किसी व्यक्ति को दी जाएंगी । ऐसी अंतिम अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी दर्शित की जाएगी ।

11. पर्यावरणीय अनापत्ति की अंतरणीयता,-

किसी आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप के लिए मंजूर की गई कोई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अंतरक द्वारा या अंतरिकी द्वारा आवेदन पर परियोजना या क्रियाकलाप को करने के हकदार किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरक द्वारा लिखित "अनापत्ति सहित" जो इसकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आरंभ में मंजूर की गई थी और उसी विधिमान्यता अवधि के लिए अंतरित की जा सकेगी । ऐसे मामलों में विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति को कोई निर्देश आवश्यक नहीं है ।

12. लंबित मामलों के निपटान तक ई.आई.ए. अधिसूचना का प्रवर्तन,-

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उस सीमा तक अधिक्रांत किया जाता है कि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए किए गए और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को लंबित सभी या कुछ प्रकार के आवेदनों को, परियोजनाओं या क्रियाकलापों को, उस सूची के सिवाय जिनमें अनुसूची 1 में पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति अपेक्षित है, इस अधिसूचना के किसी एक या सभी उपबंधों से छूट दे सकेगी या उक्त अधिसूचना के कुछ या सभी उपबंधों के प्रवर्तन को इस अधिसूचना के जारी करने की की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रख सकेगी ।

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 हे0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐसबेस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण- खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शते कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शते कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेफ्था गैस आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था एवं गैस आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे.वा.	साधारण शर्त लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं	-	
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

4 (ङ)	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(च)	चमड़ा/त्वचा/खाल प्रसंस्करण उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित सभी नई परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5		उत्पादन/फैब्रिकेशन		
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं		
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिति को छोड़कर)	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों को उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां		
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं		
5(घ)	मानव निर्मित फाइबर का उत्पादन	रेयन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
5(ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यक: संश्लिष्ट रवड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा आधारित आसवनी ≥30 कि0ली0 दैनिक	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी <30 कि0ली0 दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरेंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग	लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग	साधारण शर्त लागू होगी

	उद्योग			
5(ञ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या ज्यादा	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
6	सेवा सेक्टर			
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें(अपरिकृष्त और परिष्करणी /पेट्रो रसायन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं	-	-
6(ख)	एकल मंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएचसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7	पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रंस्संकरण जोन(नि.प्र.जो.), विशेष आर्थिक जोन(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो 500 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र< 500 हैक्टेयर हो औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हैक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय ,अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (स.भं.नि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं	साधारण शर्त लागू होगी

7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलयन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।	1) नए राज्य राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है।	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशी वाली रज्जुमार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (स.न..अ.प्र.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8	भवन/ संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण			
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #	# आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रिया कलाप क्षेत्र भी होगा।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥50हे0. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निबंधित किया जाएगा।

टिप्पण

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क" माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(ङ), 5(ङ), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के निमित्त उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा)।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए.II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट -I
(पैरा 6 देखें)
प्ररूप 1

(1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम :

विचाराधीन अनुकल्पी अवस्थिति/स्थान :

परियोजना का आकार • :

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

- अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(II) क्रियाकलाप

1. परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

क्र.सं.	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दरें, सहित, जो संभव हों, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित ।
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है)		
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		
1.3	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर, गृह, मिट्टी का परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य		
1.6	विध्वंस कार्य		

1.7	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल		
1.8	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुरस जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है ।		
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है ।		
1.10	भूमि उद्धार कार्य		
1.11	तलकर्षक		
1.12	अपतट संरचनाएं		
1.13	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
1.15	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं		
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर का प्रबंध के लिए सुविधाएं		
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात		
1.18	नई सड़क, रेल, वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है ।		
1.19	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना		
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइपलाइनें		
1.21	अवरूद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुनःरेखांकन या जलमार्गों या एक्वीफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन		
1.22	प्रवाह पार		
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन		
1.25	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन		
1.26	दीर्घकालिक रूप में तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः आरंभ करना ।		
1.27	आरंभ के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर समाघात कर सकेंगे ।		
1.28	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना ।		
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना		
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि		
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		

46

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग(जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं है या जिसका प्रदाय कम है)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (हे0)		
2.2	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : के.एल.डी.		
2.3	खनिज (एम.टी.)		
2.4	संनिर्माण सामग्री — पत्थर, औसत, बालू/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
2.5	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत — एम.टी.)		
2.6	ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम.डब्ल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें)		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग भंडारण, परिवहन, उठाई धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं ।

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
3.1	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फौना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) हैं		
3.2	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदाहरणार्थ कीट या जल-जन्य रोग)		
3.3	लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदाहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके :		
3.4	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो).
4.1	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार)		
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
4.5	अधिशेष उत्पाद		
4.6	मल बही-स्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
4.7	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
4.8	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
4.10	कृषि अपशिष्ट		
4.11	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैले या जहरीले पदार्थों का विसर्जन

क्र सं	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
5.1	लेखन सामग्री या बल संसाधनों से जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन		
5.4	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, उत्सर्जन		
5.5	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं, धूल या गंध		
5.6	अपशिष्ट के भस्मीकरण से उत्सर्जन		
5.7	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर)		
5.8	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र		
6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से		
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से		
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से		
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से		
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से		
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बही स्रावों के विसर्जन से		
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से		
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से		
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से		
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् – • आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि) • आवासन विकास • निष्कर्षित उद्योग • पूर्ति उद्योग • अन्य		
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पश्चात्वर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना		
9.4	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं		

(III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक मूल्य, दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - वेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोंसला बनाने, चारे के लिए, आश्रय करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फौना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतर्देशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं)		
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (ध्वंसता, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं)		

परिशिष्ट 2
(पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)

1. भूमि पर्यावरण

(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य संलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के लक्षणों) और (iii) समुचित मापमान के स्थल (स्तर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे संलग्न करें । यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल अवधारणा युक्त योजना संलग्न करें ।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाओं, पार्किंग आवश्यकताओं आदि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के संभावित प्रभाव क्या हैं ? (जैसे खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थानीय पारिस्थिति में विघ्न) ।

1.4 क्या किसी महत्वपूर्ण भूमि विघ्न के परिणामस्वरूप भूस्खलन, भूमि कटाव और अस्थिरता होगी ? (मृदा किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के ब्यौरे दिए जाएं)

1.5 क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)

1.6 निर्माण क्रियाकलाप – कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंर्तवलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)

1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें ।

1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)

1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें ।)

2. जल पर्यावरण

2.1 विभिन्न उपभोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें । जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी । स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अभिशेष विवरण दें ।

2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)

2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)

2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनः चक्रण से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें ।)

2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)

2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)

2.7 जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें । सृजित सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्ष्यों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?

2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हों के ब्यौरे दें)

2.10 भूमि और पनिलों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों से बच होने को सकने के लिए क्या सावधानियां/कदम उठाए जाने हैं ? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें)

2.11 स्थल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)

2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)

2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधाओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)

2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है ।

3 वनस्पति

3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हों वर्णन करें)

3.2 क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)

3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)

4. जीव जन्तु

4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रूकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।

4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें ।

4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीढ़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें ।

5. वायु पर्यावरण

5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्यौरे दें)

5.2 धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम विज्ञान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।

5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें ।

5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटर्नों के ब्यौरे दें ।

5.5 क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें ।

5.6 परियोजना स्थल के आसपास शोर स्तरों और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें ।

6. सौन्दर्यबोधी

6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन हैं ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है ।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है ।

7 सामाजिक - आर्थिक पहलू

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणास्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यौरे दें ।

7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें ।

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघ्न पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

8 निर्माण सामग्री

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा । क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है । इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढ़ाचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों की सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्धति के ब्यौरे दें ।

9 ऊर्जा संरक्षण

9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खपत कितनी है ? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

9.2 विद्युत की पृष्ठभूमि की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है ?

9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।

9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें ।

9.5 क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें ।

9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?

9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? निर्देश दें ।

9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें ।

9.9 भवन आवरण के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाह्य दीवारें ; और (ग) झरोखे ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें ।

9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियों और सुरक्षा उपाय क्या हैं ? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें ।

9.11 दिवाल सामग्री के रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो ब्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।

9.12 भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें ।

9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे दें ।

10 पर्यावरण प्रबंध योजना

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा ।

परिशिष्ट 3
(पैरा 7 देखें)

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	• रिपोर्ट का प्रयोजन • परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान • परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश, प्रदेश में इसका महत्त्व • अध्ययन का विस्तार – किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए कृत्यों के अनुसार)
2.	परियोजना वर्णन	• परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित किए जाने चाहिए : • परियोजना के किस्म • परियोजना की आवश्यकता • अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे) • प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप) • अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची • प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन • परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें । • पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित) • प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रोद्योगिकी का निर्धारण
3.	पर्यावरण का वर्णन	• अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति • विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना • सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे
4.	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	• परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुनर्स्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे । • पहचान किए गए प्रतिकूल समाघातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय • पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आश्वासन ।

		• समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व गहत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड) • न्यूनीकरण उपाय
5.	अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रौद्योगिकी और स्थल)	• यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है : • प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन • प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार • प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और • अनुकल्पी का चयन
6.	पर्यावरणीय मानिटरी कार्यक्रम	• न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी हैं)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	• लोक परामर्श • जोखिम निर्धारण • सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं
8.	परियोजना के फायदे	• भौतिक अवसंरचना में सुधार • सामाजिक अवसंरचना में सुधार • नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल • अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेषण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है ।
10.	ईएमपी	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।
11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा)	• परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य । • यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार कम किए जाते हैं
12.	नियोजित परामर्शियों का प्रकटन	• उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम

परिशिष्ट 3क
(पैरा 7 देखें)

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंतर्वस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्ठों पर पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिएं :-

(1) परियोजना वर्णन ;
(2) पर्यावरण का वर्णन ;
(3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय ;
(4) पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम ;
(5) अतिरिक्त अध्ययन ;
(6) परियोजना के फायदे ;
(7) पर्यावरण प्रबंधन योजना ;

परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, क्रमबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्धारित रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ उसका प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) जिला परिषद या नगर निगम

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अपनी अधिकारिताओं के भीतर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निदेश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध करेगा ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके ;

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को; अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।

परिशिष्ट 5

(पैरा 7 देखिए)

आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा ।

3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें नियत करेगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।

4. प्रत्येक आवेदन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा ।

5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा ।

6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

(62)

परिशिष्ट 6

(पैरा 5 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

1. विशेषज्ञ आंकलन समितियां और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण, या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा ।

विशेषज्ञ : ऊपर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव) ।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।

- पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
- जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।
- पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।
- वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।
- परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।

3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष, समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।

5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।

7. किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।

8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

कंडिका क्रमांक – 12

वृक्ष विदोहन विवरण

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र में वृक्ष स्थित नहीं है, वृक्ष विदोहन आवश्यक नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका क्रमांक – 13

कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्ताव में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस आवश्यक नहीं है। ANNEXURE-VI (a) संलग्न है।

Dalu

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

21/2

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

AGM(ENV)

ANNEXURE-VI (a).

CATEGORY OF PROPOSALS FOR WHICH COST-BENEFIT ANALYSIS IS APPLICABLE

Sl No.	Nature of Proposal	Applicable/not applicable	Remarks
1.	All categories of proposals involving forest land up to 20 hectares in plains and up to 5 hectares in hills.	Not applicable	These proposals are to be considered on case by case basis and value judgement.
2.	Proposal for defence installation purposes and oil prospecting (prospecting only)	Not applicable	In view of National Priority accorded to these sectors, the proposals would be critically assessed to help ascertain that the utmost minimum forest land above is diverted for non-forest use.
3.	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodges/complex and other building construction	Not applicable	These activities being detrimental to protection and conservation of forest, as a matter of policy, such proposals would be rarely entertained.
4.	All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 ha. in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydel projects mining activity, railway lines, location specific installations like micro-wave stations, auto repeater centres, T.V. towers etc.	Applicable	These are cases where a cost-benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use is in the overall public interests.

67

Estimation of cost of forest diversion

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for Constrution of ITI , Polytechnic and other associated infra- structures in Village - Chokawada, Tehsil- Jagdalpur , District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd. , area 9.80 ha. -regarding.
पंजीयन कमांक– FP/CG/Others/28963/2017

S.No.	Parameters	Remarks
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	NPV Of Rs. 71.54 Lacs (Rs. 7,30000/- Per ha.)
2	Loss of animal husbandry productivity including loss of fodder.	10% Of NPV - 71.54 Lacs = 7.154 Lacs
3	Cost of human resettlement	There is no inhabitant as per record in Constrution of ITI , Polytechnic and other associated infra- structures in forest land hence there would be no loss due to human settlement.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, School, Dispensaries, electric line and railway etc.) on forest land or which would require forest land if there facilities ware diverted due to the project.	The Constrution of ITI , Polytechnic and other associated infra- structures not affecting any facilities on forest land.
5	Possession value of forest land diverted	30% Of NPV Rs 71.54 Lacs = 21.462 Lacs
6	Cost of suffering to oustees	Not applicable since there in no displacement of people.
7	Habitat Fragmentation Cost	50% Of NPV Rs71.54 Lacs = 35.77 Lacs
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	Compensatory afforestation Cost of CA- Rs. 145.25 Lacs
	Total Cost =	**281.18 Lacs**

Executive Director,
Nmdc Iron and steel plant
Nagarnar Jagdalpur District-Bastar

02/01/23

EXECUTIVE DIRECTOR (NISP)
NMDC IRON & STEEL PLANT
NAGARNAR - 494001 Dist. Bastar (C.G.)

कंडिका क्रमांक – 14

चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वनमंडल के माचकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (बडे झाड़ के जंगल) में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उक्त वनभूमि के एवज में माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत कलचा नारंगी वन कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 20.000 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

02/01/23

अधिशासी निदेशक(एन.आई.एस.पी.)
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार 494001 जिला -बस्तर (छ.ग.)

कंडिका क्रमांक – 15

गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के बदले गैर वनक्षेत्र चयनित नहीं की गई है। अतः गैर वनक्षेत्र के आस–पास क्षेत्र का नक्शा आवश्यक नहीं है।

Compensatory afforestation have been proposed on double area of degreded forest, hence it is not required.

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM (BMW)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

कंडिका क्रमांक – 16

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 9.800 हे. के दुगुने क्षेत्र 20.000 हे. हेतु बस्तर वनमण्डल के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत कलचा नारंगी वन कक्ष कमांक 1142 रकबा 20.000 हे. चयनित किया गया है। 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय मानचित्र संलग्न है।

Dalu

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

(71)

कंडिका क्रमांक – 17

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

संलग्न है।

Dalu

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

कंडिका कमांक – 18

अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत का विवरण

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

73

कंडिका कमांक – 19

अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन / छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका कमांक – 20

उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदक संस्थान द्वारा कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका क्रमांक – 21

गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

प्रस्ताव हेतु बस्तर वनमण्डल के चित्रकोट परिक्षेत्र अंतर्गत रायकोट (अ) स.व. कक्ष कमांक 859 (पु. 1838) कुल रकबा 240.714 हे. में से 19.600 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर राजस्व वनभूमि अनुपलब्धता सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM(ENV)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

CHAPTER 3
Compensatory Afforestation

Compensatory Afforestation

Compensatory afforestation is **one of the most important conditions** stipulated by the Central Government while approving proposals for de-reservation or diversion of forest land for non-forest uses. **It is essential that with all such proposals, a comprehensive scheme for compensatory afforestation is formulated and submitted to the Central Government.**

The comprehensive scheme shall include the details of non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation, map of areas to be taken up for compensatory afforestation, year-wise phased forestry operations, details of species to be planted and a suitability certificate from afforestation/management point of view alongwith the cost structure of various operations.

i) Sometimes the compensatory afforestation schemes are being submitted at such a cost structure, which is at variance with the cost norms for the same area. The compensatory afforesation schemes no doubt has to be site specific and thus per hectare rate will vary according to species, type of forest and site. In this regard, it has been decided that henceforth the compensatory afforestation schemes which are being submitted alongwith the proposals for forestry clearance, must have technical and administrative approvals form the compentent authority and should be in conformity with cost norms based on species, type of forest and site.

2 Land for Compensatory Afforestation

Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

Clarification:- As a matter of pragmatism, the revenue lands/zudpi jungle/chhote/bade jhar ka jungle/jungle-jhari land/civil-soyam lands and all other such categories of lands, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided such lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as RF under the Indian Forest Act, 1927.

) As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.

ii) In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/UT as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.

v) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest twice in extent to the area being diverted or to the difference between forest land being diverted and available non-forest land, as the case may be.

) The non-availability of suitable non-forest land for compensatory afforestation in the entire State/UT would be accepted by the Central Government only on the Certificate from the Chief Secretary to the State/UT Government to that effect.

(vi) As an exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over degrad forest land twice in extent of the forest area being diverted/dereserved in respect following types of proposals:

(a) For extraction of minor minerals from the river beds.(However, if forest area to diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diver subject to a minimum of 1000 hectare compensatory afforestation).

(b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, sch building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or a other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly ben the people of the area - in hill districts and in other districts having forest a exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does exceed 20 hectares.

(c) For laying of transmission lines upto 220 KV.

(d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling existing trees.

(e) For diversion of linear or 'strip' plantation declared as protected forest alon road/rail/canal sides for widening or expansion of road/rail/canal.

(f) For laying of telephone/optical fibre lines

(vii) **The field firing ranges**, which are used temporarily by the defence establishments for a practice, comprises of safety zone encompassing the field firing range and dan area/impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the en firing range and as an exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised o equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the fi firing range.

(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following :-

(a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for purpose of using it for reforestation.

(b) Proposals involving diversion of forest land up to **one hectare**. (However, in s cases, plantation of ten times the number of trees likely to be felled will have to carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified the order)

(c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of fo area required for surface right, compensatory afforestation shall be required relevant provisions).

(d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broke mining, dumping or overburden, construction of roads, ropeways, buildings, etc. F balance area, compensatory afforestation shall be required to be done as stipula provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in resp of this area at the time of grant/ renewal of lease earlier.

(ix) **Special provisions for Central Government/Central Government Undertaking Projects.**

(a) Compensatory afforestation may be raised on degraded forest land twice in extent forest area being diverted. Certificate of Chief Secretary regarding non-availability non-forest land for compensatory afforestation will not be insisted.

(b) The user agency will deposit the amount for compensatory afforestation with concerned State Govt. on receiving the demand and the actual transfer/use of fo land will be effected only after the receipt of the demanded amount.

(c) The State Governments will identify 'blank forest' or degraded forest lands compensatory afforestation. The State Governments of Madhya Pradesh and Rajas will identify such degraded forest land in their States for compensatory afforestatio

कंडिका क्रमांक – 22

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM(ENV)

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

कंडिका क्रमांक – 23

रिक्लेमेशन प्लान

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित राजस्व वनभूमि कोई विस्थापित नहीं हो रहा है। रिक्लेमेश प्लान की आवश्यकता नहीं है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM (ENV)

प्रभात दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

कंडिका क्रमांक – 24

माईनिंग प्लान आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदन (केवल माईनिंग प्रकरण में)

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

21/7

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

AGM(E&V)

कंडिका क्रमांक – 25

व्यवस्थापन प्लान

आवेदक संस्थान अधिशासी निदेशक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर द्वारा बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत माचकोट परिक्षेत्र में ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

AGM(ENV)

अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

फार्म – 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा –2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

01.	परियोजना विवरण :–		
प	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/ स्कीम/ संक्षिप्त विवरण ।	:–	बस्तर वन मंडल के माचकोट परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई. टी.आई. , पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।
ii	1:50000 स्केल मानचित्र पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।	:–	मानचित्र संलग्न है।
iii	परियोजना की लागत।	:–	289103134.00
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:–	प्रस्तावित आई.टी.आई. , पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु राजस्व वनभूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तावित उक्त परियोजन हेतु लिया जाना उचित है।

v	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	:–	ग्रामीण आदिवासी बच्चों को आई.टी.आई. ,पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	:–	निरंक।
02.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्वेश्यवार विवरण	:–	ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. ,पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (वन/छोटे झाड़ के जंगल) प्रस्तावित है।
03.	**परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है तों ?**	:–	
i	परिवारों की संख्या	:–	निरंक।
ii	अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या	:–	निरंक।
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:–	निरंक।
04.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ / नही)	:–	नहीं।
05.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और /या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्रा आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	:–	संलग्न है।
06.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा ।	:–	अपेक्षित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज संलग्न है।

तिथि :–

स्थान :–

अधिशासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार जगदलपुर जिला–बस्तर

प्रशान्त दास
अधिशासी निदेशक
एनएमडीसी आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, 494001 जिला- बस्तर (छ.ग.)

AGM(ENV)